फर्द अहकाम

चेतराम बनाम सरकार

नाम न्यायालय S.D.O

केस संख्या प्रथम जयपुर 170/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		आज दिनांक 8-2-18 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोलेंस है। अतः पत्रावली पुनः पुटअप दिनांक 19/2/18 को पेश हो। आदेशार्थ	
	19/02/18	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। वादी-वाद मुताबिक कुर्रेजात के अंतिम डिक्री किया जाता है तथा आपत्ति कुर्रेजात प्रस्ताव प्रपत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल-शुमार, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

राजस्व वाद संख्या :– 119/2011

पीठासीन अधिकारी : आशीष कुमार , आर0ए0एस0

1. चौगान पुत्र चन्दा जाति माली निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर जिला जयपुर।

———वादी

बनाम

1. भूरा पुत्र नानगा जाति माली निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2. घासी पुत्र नानगा जाति माली निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर जिला जयपुर।
3. नाथूलाल पुत्र महादेव जाति माली निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर तहसील, जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक जयपु, तहसील व जिला जयपुर।

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
बाबत् तकासमा व हुक्म इम्तनाई दवामी

निर्णय **दिंनाक–19.02.2018**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा खोर पटवार क्षैत्र जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 525, 526, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539 कुल किता 11 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा हेतु राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या नया 367 पुराना 358 के अन्तर्गत दर्ज इन्द्राज के अनुसरण में उक्त खसरान् की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के नाम जमाबन्दी में हिस्से अनुसार दर्ज है। वादी द्वारा वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वादीगण का वाद बहस वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर विधिक विभाजन की डिक्री बहस वादी विरूद्व प्रतिवादीगण को इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाद अधीन कृषि भूमि का हिस्से अनुसार सह–काश्तकारों के मध्य कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुये बाई मिट्स एण्ड बाअण्डस् एवं सरस–नरस में

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में वादी के निहित हिस्से को वादी की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादीगण के हिस्से का राजस्व लगान एवं नक्शा पृथक से तकमील किया जावें। न्यायालय द्वारा वाद विभाजन का होनें पर दिनांक 16.03.2017 को वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार जयपुर द्वारा पत्रांकः भू.अ./कुर्रेजात/3021 दिनांक 09.06.2017 के संलग्नक कुर्रेजात प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के प्रेषित किये गये। प्रतिवादी भूरा की ओर से इस न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक (16.03.2017) के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहां अपील (391/2017) प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 24.11.2017 को पारित अपने निर्णय में यह माना कि इस न्यायालय द्वारा जो "अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, उसमें कोई सारभूत विधिक त्रुटी नहीं है। वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाना अपीलान्ट्स के हित में भी है तथा विभाजन से उन्हें किसी प्रकार की क्षति होना संभावित नहीं है। विभाजन प्रस्तावों पर आपत्ति प्रस्तुत करनें का समुचित अवसर भी उनके पास उपलब्ध है" तथा अपील अस्वीकार की गयी।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर से अपील अस्वीकार होकर पुनः पत्रावली प्राप्त हुई तथा पुनः सुनवाई हेतु नियत की गई तथा दिनांक 20.12.2017 को कुर्रेजात प्रस्तावों पर बहस हेतु रखी गई। दिनांक 29.12.2017 को प्रतिवादी 1 तथा 2 की ओर से आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 31.01.2018 तक उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा प्राप्त कुर्रेजात प्रस्तावों का भी अवलोकन किया गया। आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र मात्र देरी किये जाने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात सारहीन होनें पर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्तावों मय नक्शा ट्रेस प्रतियों के (भू.अ./कुर्रे./3021 दिनांक 09.06.2017) वादग्रस्त आराजीयात् का पक्षकारों के मध्य ग्राम जयसिंहपुरा खोर पटवार क्षैत्र जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 525, 526, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539 कुल किता 11 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा का निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैः–

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

क्रम संख्या	नाम कृषक खातेदार मय बिता	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	नाथूलाल पुत्र महादेव जाति माली सा.देह.	525	1—09	बारानी 3	1.38
		526	1—10	बारानी 3	1.42
		530	1—00	जाव 3	1.91
				चाही 3	1.12
		531	0—15	चाही 3	0.90
				जाव 3	1.40
		536/1	0—09	चाही 3	0.07
				जाव 3	0.02
		किता 5	5.03	—	
2	भूरा घासी पि. नानगा जाति माली सा.देह.	535	0—17	बारानी 2	1.23
		538/1	0—15	चाही 3	0.03
				जाव 3	0.12
		539/1	0—19	चाही 3	0.06
				जाव 3	0.13
		किता 3	2—11	—	
3	चौगान पि. चन्दा जाति माली सा. देह.	532	0—12	बारानी 2	0.87
		536/2	1—02	चाही 3	0.15
				जाव 3	0.07
		537	0—12	जाव 3	0.08
				चाही 3	0.04
		538/2	0—03	चाही 3	0.07
				जाव 3	0.01
		539/2	0—02	बारानी 3	0.02
		किता 5	2—11	—	
4	भूरा घासी पि. नानगा हि. 1/4 चौगान पि. चन्दा हि. 1/4 नाथूलाल पुत्र महादेव हि. 1/2 सा.देह.	533	0—04	गै.मु. चाह	—

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

उपर्युक्त अनुसार पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त आराजीयात् का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जावे तथा लगान का भी निर्धारण करें। अंतिम डिक्री जारी हो।

आज दिंनाक 19.02.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

अ० डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** जयपुर प्रथम..... मुकाम .....**जयपुर**... ..... ब अलजास .....**आशीष कुमार (आर.ए.एस.)**..... .....**चौगान**..... बनाम.....**भूरा वगैरह**.....

दावा बाबत् – **ताकसमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188**

राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकद्दमा नं. .....**115**..... सन् .....**2016**.....

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू .... व हाजरी ..... मिनजामिन मुद्दई रूबरू .... मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादग्रस्त आराजीयात् का पक्षकारों के मध्य ग्राम जयसिंहपुरा खोर पटवार क्षेत्र जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 525, 526, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539 कुल किता 11 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–** .....**लगातार (कृ.प.उ.)**...पृष्ठ 2 पर .....निज..... .....मबलिक.....बाबत् ..... खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगैरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियत तक ..... को अदा करें।

वसूलियाव तक ..... को अदा करें।

बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....19.02..... सन् .....2018..... को जारी किया गया।

दस्तखत .....
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा .....जयपुर (प्रथम), जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्आम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्आम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	--		फीस कमिश्नर	--	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

.....लगातार

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

.....लगातार

क्रम संख्या	नाम कृषक खातेदार मय बिता	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	नाथूलाल पुत्र महादेव जाति माली सा. देह.	525	1—09	बारानी 3	1.38
		526	1—10	बारानी 3	1.42
		530	1—00	जाव 3	1.91
				चाही 3	1.12
		531	0—15	चाही 3	0.90
				जाव 3	1.40
		536/1	0—09	चाही 3	0.07
				जाव 3	0.02
		किता 5	5.03	—	
2	भूरा घासी पि. नानगा जाति माली सा. देह.	535	0—17	बारानी 2	1.23
		538/1	0—15	चाही 3	0.03
				जाव 3	0.12
		539/1	0—19	चाही 3	0.06
				जाव 3	0.13
		किता 3	2—11	—	
3	चौगान पि. चन्दा जाति माली सा. देह.	532	0—12	बारानी 2	0.87
		536/2	1—02	चाही 3	0.15
				जाव 3	0.07
		537	0—12	जाव 3	0.08
				चाही 3	0.04
		538/2	0—03	चाही 3	0.07
				जाव 3	0.01
		539/2	0—02	बारानी 3	0.02
		किता 5	2—11	—	
4	भूरा घासी पि. नानगा हि. 1/4 चौगान पि. चन्दा हि. 1/4 नाथूलाल पुत्र महादेव हि. 1/2 सा.देह.	533	0—04	गै.मु. चाह	—

उपर्युक्त अनुसार पक्षकारों के मध्य उक्तानुसार विभाजन कर पृथक-पृथक खाते कायम करें व लगान का निर्धारण भी करें।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर